संख्या- 274 /2025/1752/001-E-1732362

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ, दिनांक: 24 दिसम्बर, 2025**

विषय-राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के सापेक्ष ए0एण्डओ0ई0 मद की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3725/106/SSCM/2020-21, दिनांक 28.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत विस्तारित अवधि के प्रथम वर्ष के बजट प्रावधान के सापेक्ष ए0एण्डओ0ई0 मद में रू0 300.00 लाख की धनराशि मिशन निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. शासनादेश संख्या-589/नौ-9-2025-ई-1732362, दिनांक 26.03.2025 के प्रस्तर-5 (5) में यह प्राविधान है कि राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु विस्तारित समयावधि (वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं वित्तीय वर्ष 2026-27) में योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्राविधानित बजट के सापेक्ष वास्तविक व्यय के आधार पर अधिकतम 1.5 प्रतिशत ए०एण्ड०ओ०ई० की व्यवस्था की जायेगी तथा उक्त धनराशि से मिशन निदेशालय स्तर पर कार्यालयीन व्यय एवं पी०एम०यू० की स्थापना की जायेगी।

3. अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-589/नौ-9-2025-ई-1732362, दिनांक 26.03.2025 के प्रस्तर-5 (5) में निहित प्राविधानानुसार राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान के सापेक्ष ए0एण्डओ0ई0 मद में रू0 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक के स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाईडलाइन्स 2019 के दिशा निर्देशों/शासन के आदेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0, लखनऊ को अंतरित की जायेगी।

(2) धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(3) खाते के आय-व्ययक का विवरण सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा रखा जायेगा। सहायक निदेशक (लेखा) द्वारा उक्त खाते के संचालन में संगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त खाते में उपलब्ध ए0एण्डओ0ई0 मद की धनराशि का उपयोग निम्नलिखित मदों पर किया जायेगा:-

i. परियोजना प्रबन्धन इकाई की स्थापना।

ii. क्षमता निर्माण, इन्फार्मेशन एजूकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (IEC) तथा प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A & OE) हेतु ।

iii. कार्यशाला/प्रशिक्षण/स्टडी/स्टेशनरी/समीक्षा बैठक/जागरूकता कार्यक्रम/कॉन्क्लेव/ एक्सपो और देश के अन्तर्गत अधिकारियों के भ्रमण/यात्रा, परियोजना विशेषज्ञ, उपार्जन (Procurement) विशेषज्ञ, अनुबन्ध प्रबन्धन, ट्रान्जेक्शन परामर्शी के लिए सीमा से बाहर का व्यय।

iv. राष्ट्रीय/अर्तराष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय संस्थाओं द्वारा तकनीकी सहयोग।
v. योजना के अनुश्रवण हेतु डैशबोर्ड विकसित करने/अन्य डिजिटल एवं आई0टी0 इनिशिएटिव।
vi. सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव, मूल्यांकन, अध्ययन/शोध/अभिलेखीकरण, प्रचार-प्रसार, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि पर व्यय।

(5) निदेशालय स्तर पर उक्त आरक्षित धनराशि संगत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार ही व्यय की जायेगी।

(6) सहायक निदेशक (लेखा)/वित्त नियंत्रक द्वारा उक्त धनराशि के व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों/प्रतिबन्धों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित सहायक निदेशक (लेखा)/वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाये।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों तथा वित्त विभाग के मिव्ययिता संबंधी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-E-9-84-X-2025-26-दिनांक: 19-12-2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 24-12-2025
10:24:26

भवदीय,
(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या-274 /2025/1752/001-E-1732362, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
3. राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।